जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स उर्विजा माईन्स एण्ड मिनरल्स, माईनिंग जो कि (क्लस्टर नं 9 Q, क्लस्टर क्षेत्रफल–7.9784 हेक्टयर, क्लस्टर की कुल उत्पादन क्षमता 6,30,880 टन प्रतिवर्ष रोम) में प्रस्तावित है जिसका रेफरेन्स नम्बर–20211000036000, खनन पट्टा क्षेत्रफल–3.9892 हेक्टयर, उत्पादन क्षमता 2,45,300 टन प्रतिवर्ष रोम (बॉल क्ले .1,57,500 टन प्रतिवर्ष मुर्रम – 44,375 टन प्रतिवर्ष, ऑवर बर्डन – 43,425 टन प्रतिवर्ष) है,उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावर्णीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 03.01.2023 को ग्राम पंचायत भवन–डेह, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर (राजस्थान) में दोपहर 12.00 बजे से जिला कलेक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर,प्रशासनबीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त जनसनुवाई के दौरान श्री प्रदीप कुमार चाहर, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर भी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" में सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 02.12.2022 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दैनिक युगपक्ष में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियॉ परिशिष्ठ "ब" में संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता /प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स उर्विजा माईन्स एण्ड मिनरल्स, माइन्स के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स मन्त्रास ग्रीन रिर्सोसेज लिमिटेड''को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स मन्त्रास ग्रीन रिर्सोसेज लिमिटेड'' के प्रतिनिधि मोहम्मद आरिफ ने बॉल क्ले एवं मुर्रम खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत बताया कि यह खनन इकाई माईनिंग क्लस्टर नं 9 Q में आती है। इस माईन्स का कुल खनन क्षेत्र **3.9892** हेक्टेयर, खनिज – बॉल क्ले एवं मुर्रम एवं उत्पादन क्षमता **2,45,300 टी.पी.ए** (आर.ओ.एम) होना बताया गया। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रदीप कुमार आसनानी ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में अपना आक्षेप एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

इस क्रम में श्री सुमेर सिंह, गॉव सॉखला बस्ती ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पूर्व में संचालित खनन पट्टों द्वारा किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने एवं चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने सम्बन्धित कार्य नहीं किया जाना बताया गया। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के वेतन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लाभाकारी योजना जैसे कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि नहीं देना बताया गया। इसके अतिरिक्त योजना में अधिकतम स्थानीय ग्रामवासियों को लगाने हेतु आग्रह किया।

इस सम्बन्ध में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित खनन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पी.एफ. एवं ईएसआई सम्बन्धित योजना नियमानुसार उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया।

श्री गजेसिंह, सरपंच ग्राम डेह–कोटडी द्वारा कहा गया कि पूर्व में संचालित खनन पट्टों द्वारा किसी भी प्रकार की लाभाकारी योजना जैसे कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि उपलबध नहीं करवाई जा रही है। खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन से जनित वायु प्रदूषण से गॉव में लोगों को दमा सम्बन्धित बीमारी फैलना, वाहनो से गायो की मौत होना बताया गया। इसके अतिरिक्त गॉव में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से पक्की रोड बनवाने हेतु निवेदन किया। सरपंच महोदय द्वारा क्षेत्र के आस–पास पूर्व के स्थित खनन पट्टों द्वारा किसी भी प्रकार का सी.एस.आर. सम्बन्धित कार्य नहीं होना बताया गया एवं इनकी जाँच सम्बन्धित विभाग से करवाने हेतु निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय ने उपस्थित अधिकारीयों से इस क्षेत्र में पूर्व में संचालित खनन पट्टों की सूची सम्बन्धित माईनिंग विभाग की मदद से प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु कहा गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह सॉखला बस्ती ने जानकारी दी गई कि क्षेत्र मे संचालित अन्य खनन परियोजनाओ के द्वारा प्रस्तावो के अनुसार वृक्षारोपण का कार्य नही किया गया है ।

इस सम्बन्ध में इस परियोजना के भागीदार श्री रोहित व्यास द्वारा प्रस्तावित खनन पट्टे में नियमानुसार पौधारोपण कार्य करवाने हेतु कहा गया।

श्री गजेसिंह, सरपंच ग्राम डेह–कोटडी द्वारा कहा गया कि डी.एम.एफ.टी. फण्ड का उपयोग खनन क्षेत्र से प्रभावित गॉवो मे न किया जाकर अन्य दुरस्त क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित परियोजना प्रस्तावक को उनके गॉव में प्रतिवर्ष चिकित्सा शिविर आयोजित करवाना, वायु प्रदूषण रोकने हेतु पौधारोपण एवं रोड़ पर पानी का छिड़काव करवाना, ग्राम पचायत में सी.एस.आर कार्य के अन्तर्गत निर्धारित बजट का वहन कर कार्य करना से

सम्बन्धित आश्वासन लिखित में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इस सम्बन्ध मे अपना लिखित प्रतिवेदन जनसुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया। जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ठ "स" में संलग्न है।

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय ने डी.एम.एफ.टी. मद से रोड़ बनाने से सम्बन्धित मुद्दे को आगामी डी.एम.एफ.टी मिटिंग में लिखित में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

श्री रोहित व्यास, भागीदार प्रस्तावित परियोजना ने सरपंच महोदय द्वारा दिये गये प्रस्ताव को लिखित में आश्वासन देने हेतु सहमति प्रदान करते हुए डेह ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से वंचित परिवारों को इस योजना का लाभ दिलवाने हेतु अपने स्तर पर कैम्प आयोजित करने एवं योजना सम्बन्धित समस्त व्यय अपने सी.एस.आर मद से भुगतान करने हेतु सहमति जताई। श्री रोहित व्यास एवं अन्य भागीदारो ने संरपंच महोदय द्वारा दिये गये लिखित प्रतिवेदन का जवाब जनसुनवाई के पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ठ "द" में संलग्न है।

अन्त में श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर ने श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं उपस्थित जन समुदाय को जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(ओमप्रकाश)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
प्रतिनिधि, जिला कलेक्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट, बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

माईनिंग क्लस्टर नं 9 Q " डेह बॉल क्ले एवं मुरम माईन्स " (क्लस्टर क्षेत्रफल–7.9784 हेक्टयर , क्लस्टर की कुल उत्पादन क्षमता **6,30,880** टन प्रतिवर्ष रोम) मे स्थित खनन पट्टा मैसर्स उर्विजा माईन्स एण्ड मिनरलस , रेफरेन्स नम्बर–**20211000036000,** खनन पट्टा क्षेत्रफल–**3.9892** हेक्टयर, उत्पादन क्षमता **2,45,300** टन प्रतिवर्ष रोम (बॉल क्ले **-1,57,500** टन प्रतिवर्ष**,** मुरम – **44,375** टन प्रतिवर्ष**,** ऑवर बर्डन – **43,425** टन प्रतिवर्ष) खसरा नंबर 529/60, निकट ग्राम–डेह, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 03.01.2023 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन – डेह, तहसील– कोलायत, जिला–बीकानेर।
दिनांकः– 03.01.2023 समय दोपहर 12:00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय	हस्ताक्षर
1.	श्री ओम प्रकाश	ADM (प्रशासन), Bikaner	
2.	प्रदीप कुमार आसनानी	क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB, Bikaner	
3.	कैलाश सुथार	AEn, RSPCB, Bikaner	
4.	प्रदीप कुमार चाहर	SDM, कोलायत	
5.	गजेसिंह	सरपंच	
6.	भोमसिंह	7014433032	
7.	सुरेन्द्रसिंह	9413236051	
8.	बालूसिंह	डेह 9545615204	
9.	कुमरसिंह	सांखला बस्ती 9649237713	
10.	भोजनाथ	सांखला बस्ती 9929474511	
11.	चन्द्रसिंह	सांखला बस्ती	
12.	महेन्द्रसिंह	डेह 9649243225	
13.	मदनसिंह	डेह	
14.	चन्द्रसिंह	डेह	
15.	हुकमाराम	सरपाला	

16.	सत्यनारायण	सौरखला बस्ती	सत्यनारायण
17.	छोगाराम	सौरखला	छोगाराम
18.	मेघाराम	सौरखला / बस्ती	मेघाराम
19.	गंगासिंह	सौरखला बस्ती	गंगासिंह
20.	महावीर	〃	महावीर
21.	कन्हैयालाल	गुड़ा	कन्हैयालाल
22.	मोहनलाल	[illegible]	[illegible]
23.	DR. Mohammed ARIF	Manfrey Green Resource Jaipur	[illegible]
24.	Adv S. K. V	[illegible]	[illegible]
25.	[illegible]	बीकानेर	[illegible]
26.	[illegible]	बीकानेर	[illegible]
27.	[illegible] सौरखला	9772505065	[illegible]
28.	डूंगरचन्द्र राम	सौरखला बस्ती	डूंगरचन्द्र राम
29.	किशनाराम	〃 〃	किशनाराम
30.	जगपाल सिंह	〃	जगपाल सिंह
31.	जयसिंह	[illegible]	〃
32.	महेन्द्रराम	〃 〃	महेन्द्रराम
33.	जेठमल	बीकानेर	[illegible]
34.	अशोक	बीकानेर	[illegible]
35.	Kamalanath	Ram... बीकानेर	[illegible]
36.	शिवम	बीकानेर	Shiv...
37.	शरद भादरा	〃 〃	[illegible]
38.	सुनील	मोलासर	सुनील

39.	रोहित कुमार व्यास	पार्टनर उर्विया आंडरा एण्ड मिस्टेला	Rohit
40.	भारत व्यास	पार्टनर उर्विजा आंड्या एंड मिलेला	[signature]
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			

[illegible]	20X49 = 108.88 वर्गगज	24000	1	50000	27.12.2022
ब्लॉक सी– 4, 14, 15, 16, 19, 20, 21,	40x49=217.44 वर्गगज	19600	7	100000	28.12.2022
ब्लॉक सी– 31, 32	40x80=355.55 वर्गगज	19600	2	150000	28.12.2022
ब्लॉक सी [illegible] 24, 25, 29	40x74=328.88 वर्गगज	19600	3	130000	03.01.2023
ब्लॉक सी– 35, 36, 38, 39, 40	40x74=328.88 वर्गगज	19600	5	130000	03.01.2023
ब्लॉक ए– भूखण्ड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17	20x49=108.88 वर्गगज	19600	10	50000	04.01.2023
ब्लॉक ए– भूखण्ड 18, 19, 20, 21, 22 23, 44, 45, 46, 47	20x49=108.88 वर्गगज	19600	10	50000	05.01.2023
ब्लॉक ए– भूखण्ड 48, 49, 50 51, 52, 82, 83, 84	20x49=108.88 वर्गगज	19600	8	50000	10.01.2023
ब्लॉक ए – भूखण्ड 43, 53, 54, 64, 65, 66, 67, 68	25x49=136.11 वर्गगज	19600	10	50000	11.01.2023
ब्लॉक ए – भूखण्ड 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80	25x49=136.11 वर्गगज	19600	10	60000	12.01.2023

ी शर्तें :–

धि द्वारा अनुमत कोई भारतीय नागरिक प्रकिया में भाग ले सकेगा।

छुक बोलीदाता को बोली प्रकिया में भाग लेने के लिए नगर परिषद, टोंक द्वारा निर्धारित अमानता राशि जमा करवाने के पश्चात् ही बोली भाग ले सकेगा। प्रत्येक भूखण्ड हेतु बोलीदाता को निर्धारित अमानता पृथक–पृथक जमा होने पर बोली में भाग ले सकेंगे। अमानता राशि कद या डी.डी. के रूप में जमा की जावेगी।

ली समाप्ति पर उच्चतम बोलीदाता को छोड़ कर शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि मौके पर ही लौटा दी जायेगी। सफल बोलीदाता की मानता राशि जमा योग्य नीलामी कीमत/राशि के साथ समायोजित की जावेगी।

फल बोलीदाता को भूखण्ड की नीलामी कीमत की 15 प्रतिशत राशि नीलामी की तिथि से तीन कार्य दिवस के भीतर परिषद् कोष में जमा रवानी होगी। तीन दिवस में 15 प्रतिशत राशि जमा होना नही पाये जाने की स्थिति में नीलामी हेतु जमा अमानता राशि जब्त कर ली ावेगी एवं भूखण्ड की नीलामी स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

फल बोलीदाता को भूखण्ड की नीलामी कीमत की 35 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि से 240 दिवस के भीतर परिषद कोष में जमा करवानी गी। 240 दिवस में राशि जमा होना नहीं पाये जाने की स्थिति में आगामी 60 दिवस में 9 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करवानी होगी।

फल बोलीदाता को भूखण्ड की नीलामी कीमत की 50 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि से 360 दिवस के भीतर परिषद कोष में जमा करवानी गी। 360 दिवस में राशि जमा होना नहीं पाये जाने की स्थिति में आगामी 90 दिवस तक 9 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करवानी होगी।

दि सफल बोलीदाता भूखण्ड की नीलामी की सम्पूर्ण कीमत/राशि परिषद् द्वारा जारी मांग पत्र की तिथि से 15 दिवस में जमा करवाये ाने पर,जमा योग्य मूल राशि में से 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी। नीलामी की दिनांक से 450 दिवस तक 9प्रतिशत ब्याज सहित शि जमा नहीं कराने पर नीलामी स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।

दि सफल बोलीदाता बिन्दु संख्या 4, 5, 6 में जमा करवाई जाने वाली राशि में मय ब्याज जमा होने वाली अवधि में प्रदान की गई छूट परान्त भी नीलामी कीमत/राशि जमा करवाने में असमर्थ रहता हैं तो नीलामी भूखण्ड पेटे जमा 15 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेगी एवं खण्ड की नीलामी स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

लामी समिति की राय में भूखण्ड की उचित बोली नहीं आने पर नीलामी कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाकर पुनः नीलामी का प्रयास किया सकेगा। अगर फिर समुचित बोली नहीं आती है अथवा बोली स्वतंत्र एवं प्रतियोगी नहीं है तो नगर परिषद समिति की राय अनुसार भापति को बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

लामी स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी सभापति नगर परिषद, टोंक को होगा।

खण्ड पर निर्माण नगर परिषद टोंक के स्वीकृत नक्शे के अनुसार करवाना होगा।

फल बोलीदाता को नगर पालिका अधिनियम 2009 व तत्समय प्रवृत एवं समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन विधिक प्रावधानों अनुपालना करना आवश्यक होगा। विधिक प्रावधानों के उल्लंघन पर दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

ज राशि नियमानुसार जमा करानी होगी।

लामी बोली न्यूनतम रू. 100 के गुणांक पर जमा लगाई जावेगी।

फल नीलामी बोली मान्य नहीं होगी।

ाद/सी/22/11146 आयुक्त सभापति

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

प्लॉट नम्बर स्पेशल 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

दूरभाष सं. 0151-2250006, ई-मेल ro.bikaner@gmail.com

क्रमांक राप्रनिमं/बीका/माईन्स/बीएम-701/ दिनांक

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माईनिंग क्लस्टर नं 9Q'' डेह बॉल क्ले एवं मुर्रम माईन्स'' (क्लस्टर क्षेत्रफल - 7.9784 हेक्टयर क्लस्टर की कुल उत्पादन क्षमता 6,30,880 टन प्रतिवर्ष रोम) मे स्थित खनन पट्टा मैसर्स उर्विजा माईन्स एण्ड मिनरलस रेफरेन्स नम्बर-20211000036000, खनन पट्टा क्षेत्रफल 3.9892 हेक्टयर, उत्पादन क्षमता 2,45,300 टन प्रतिवर्ष रोम (बॉल क्ले 1,57,500 टन प्रतिवर्ष, मुर्रम 44,375 टन प्रतिवर्ष, ओवर बर्डन - 43,425 टन प्रतिवर्ष) खसरा नंबर 529/60, निकट ग्राम- डेह, तहसील-कोलायत, जिला- बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चूकि मैसर्स उर्विजा माईन्स एण्ड मिनरलस को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है। 3.और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चूँकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 2. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर। 3. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 4. कार्यालय खनिज अभियंता, जिला बीकानेर। 5. तहसील कार्यालय, कोलायत, बीकानेर। 6. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 7. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान 8. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। 9. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पंचम, तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच. अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 10. पंचायत भवन डेह, तहसील-कोलायत, जिला- बीकानेर।

उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **03.01.2023 को दोपहर 12.00 बजे पंचायत भवन डेह, तहसील-कोलायत, जिला- बीकानेर** में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रदीप कुमार आसनानी) क्षेत्रीय अधिकारी

QR कोड को स्कैन न करें
से प्राप्त लिंक पर क्लिक करें.
हें.

आरबीआई कहता है...
जानकार बनिए,
सतर्क रहिए!

के लिए,
tahai.rbi.org.in/qr पर जाएं
rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

लगोरी खेल में बीकानेर ने स्टेट ट्रॉफी जीती

बीकानेर (खेसं)। 66 वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में लगोरी खेल में बीकानेर जिले के छात्रों ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। पिपलाई सवाई माधोपुर में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित टूर्नामेंट में भाग ले कर लौटे दल प्रभारी वीरेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि 19 वर्ष एवं 17 वर्ष वर्ग में कुल 99 टीमों ने भाग लिया 'बीकानेर जिले से चारों वर्गो से 60 खिलाडियों ने भाग लिया फाइनल में बीकानेर ने नागौर जिले को हरा कर राज्य स्तरीय ट्रॉफी पर कब्जा किया टीम के प्रबंधक मंगतू राम एवं प्रशिक्षक सुभाष जाखड़ तथा रणवीर पूनिया थे।

सद्दाम, अयान ने किया नेशनल क्वालिफाई

बीकानेर, (निसं)। भोपाल (मप्र.) में चल रही 65वीं नेशनल 10 मीटर शूटिंग एयर पिस्टल चैम्पियनशिप में बीकानेर के मोहम्मद सद्दाम ने मेन प्रति. में 600 में से 547 स्कोर अर्जित कर राष्ट्रीय प्रति. के लिए क्वालिफाई किया वहीं सब यूथ में मोहम्मद अयान ने 600 में से 534 स्कोर अर्जित कर क्वालिफाई किया। गौरतलब है कि मो. सद्दाम व मो. अयान प्रख्यात समाजसेवी, जीवरक्षक मो. इकबाल के सुपुत्र हैं एवं प्रारंभ से ही खेलों व पढ़ाई में मेधावी रहे हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

प्लॉट नम्बर स्पेशल 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
दूरभाष सं. 0151-2250006, ई-मेल ro.bikaner@gmail.com
क्रमांक राप्रनिमं/बीका/माईन्स/बीएम-701/ दिनांक

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माईनिंग क्लस्टर नं 9Q'' ढेह बॉल क्ले एवं मुर्रम माईन्स'' (क्लस्टर क्षेत्रफल - 7.9784 हेक्टयर क्लस्टर की कुल उत्पादन क्षमता 6,30,880 टन प्रतिवर्ष रोम) मे स्थित खनन पट्टा मैसर्स उर्विजा माईन्स एण्ड मिनरलस रेफरेन्स नम्बर-20211000036000, खनन पट्टा क्षेत्रफल 3.9892 हेक्टयर, उत्पादन क्षमता 2,45,300 टन प्रतिवर्ष रोम (बॉल क्ले 1,57,500 टन प्रतिवर्ष, मुर्रम 44,375 टन प्रतिवर्ष, ऑवर बर्डन - 43,425 टन प्रतिवर्ष) खसरा नंबर 529/60, निकट ग्राम- ढेह, तहसील-कोलायत, जिला- बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चूंकि मैसर्स उर्विजा माईन्स एण्ड मिनरलस को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है। 3.और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 2. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर। 3. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 4. कार्यालय खनिज अभियंता, जिला बीकानेर। 5. तहसील कार्यालय, कोलायत, बीकानेर। 6. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 7. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान 8. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। 9. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पंचम, तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच. अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 10. पंचायत भवन डेह, तहसील-कोलायत, जिला- बीकानेर।

उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 03.01.2023 को दोपहर 12.00 बजे पंचायत भवन डेह, तहसील-कोलायत, जिला- बीकानेर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. से 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते है।

(प्रदीप कुमार आसनानी) क्षेत्रीय अधिकारी

तुम जियो हज़ारों साल.... साल के दिन हों पचासों हज़ार

संस्कार पंवार

के आज जन्मदिन पर मम्मी पापा रजनी जितेंद्र पंवार, दादा जी दादी जी धर्मचंद पंवार कमला देवी पंवार चाचा चाची : जनक-भावना पंवार, बहन : रिया वर्षा मीनू, बुआ-फूफा, ममता नरेंद्र जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। युगपक्ष परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।

प्रविष्टे 17 जमादि उल अव्वल 8 हिजरी संवत् 1444 (मु.) तदनुसार 2 दिसम्बर 2022 शुक्रवार दक्षिणायन हेमंत ऋतु। राहूकाल 10:54 बजे से 12:12 बजे तक। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 25 बजकर 44 मिनट तक। योग वज्र 07:29 बजे तक उपरांत सिद्धि 29:50 तक। चंद्रमा का संचरण मीन राशि में (दिन-रात) पंचक जारी। अमृत सिद्धि योग/सर्वार्थ सिद्धि योग 29:44 तक। बुध धनु राशि में 30:47 बजे। बुध उदय राशि पश्चिम में 14:53 बजे से। रवि योग 30:49 बजे। हरिपंचक व्रतारंभ। दशादित्य व्रत।

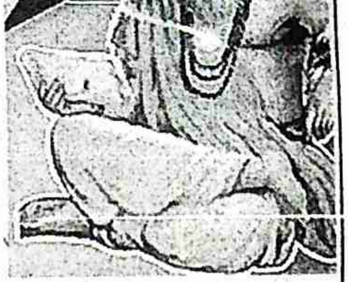

श्री विमल जैन

हस्तरेखा विशेषज्ञ, रत्न-परामर्शदाता फलित अंक व ज्योतिषी एवं वास्तुविद्

आपका आज का दिन | **शुक्रवार, 2 दिसंबर 2022**

मेष- परिस्थितियों में व्यतिक्रम, स्वास्थ्य विपरीत, लापरवाही से नुकसान, विरोधियों का वर्चस्व, पारस्परिक सम्बन्धों में कटुता, मानसिक बेचैनी, अपव्यय भी।

वृषभ- नवीन योजना का श्रीगणेश, इच्छाशक्ति का विकास, व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटित, अकल्पित लाभ, दर्शनीय स्थलों की यात्रा का प्रसंग।

मिथुन- स्वविवेक से किया गया कार्य सफल, उच्चाधिकारियों से सम्पर्क का सुयोग, प्रेम सम्बन्धों में प्रगाढ़ता, आपसी समझदारी से तनाव में कमी, भौतिक सुख में वृद्धि।

कर्क- कार्य व्यवसाय में उन्नति का अवसर, नवउत्तरदायित्व का निर्वाह, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, दूसरों के आश्वासनों स मानसिक राहत, यात्रा सुखद।

सिंह- विशेष प्रयास के बावजूद आंशिक सफलता, व्यापारिक हानि, उत्तरदायित्व की पूर्ति में बाधा, आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति, जीवनसाथी से कष्ट, यात्रा निष्फल।

कन्या- विविध पक्षों में अनुकूलता, नवयोजना का श्रीगणेश, सद्विचारों का उदय, आमोद-प्रमोद के साधन सुलभ, नवसम्पर्क उपयोगी, अकल्पित लाभ।

तुला- भाग्योन्नति के नवीन आयाम, समझदारी से लिया गया निर्णय हितकर, सुसंदेश से परिवार में हर्षोल्लास, परोपकार की भावना जागृत, मनोरंजन में रुचि।

वृश्चिक- कार्य व्यवसाय में नवपरिवर्तन, जिम्मेदारियों को निभाने में व्यय, अपने स्तर को बनाये रखने के लिए प्रयलशील, आपसी सलाह से कामयाबी, शत्रु परास्त।

धनु- आकांक्षित सिद्धि में व्यतिक्रम, साहसिक प्रगति का प्रयास असफल, शत्रु हानि पहुँचाने हेतु प्रयत्नशील, नवसमस्याएँ उपस्थित, वाहन से चोट-चपेट भी संभव।

मकर- व्यापार में धन निवेश, अधूरे कार्यों की पूर्ति हेतु स्वजनों से सहयोग, राजकीय पक्ष से लाभान्वित, दाम्पत्य जीवन मधुर, किसी आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर।

कुम्भ- पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, आय के नवीन स्रोत, स्थान परिवर्तन की दिशा में कार्यक्रम, भौतिक सुख के निमित्त अधिक व्यय, इच्छित योजना का सुपरिणाम।

मीन- विनियोजित धन का प्रतिफल आशानुकूल प्राप्त, पुरातन विवाद का निर्णय पक्ष में होने से खुशी, किसी के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन में नवीन उपलब्धि।

एस. 2/1-76 ए. द्वितीय तल, वरदान भवन, टैगोर टाउन एक्सटेंशन भोजूबीर, वाराणसी-221002 ★ मो. : 09335414722

आपका जन्मदिन मंगलमय हो | 2 दिसम्बर

आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका जन्म तारीख 2 दिसम्बर है। अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्मतिथि का स्वामी ग्रह चन्द्रमा है। आपका जन्मांक कर्क राशि के अन्तर्गत आता है। इस माह का अधिपति ग्रह वृहस्पति है। आप आजीवन वृहस्पति एवं चन्द्रमा ग्रह से प्रभावी रहेंगे। आप भावुक, कोमल व कल्पनाशील व्यक्ति होंगे। आप किसी कार्य के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद ही उसे करेंगे। आपका जीवन परिवर्तनशील रहेगा। व्यर्थ का दिखावा आप अधिक पसन्द करेंगे। आपमें अविश्वास की भावना अधिक रहेगी। आपके दिमाग में हमेशा नये-नये विचार पल्लवित होंगे। किसी से भी अपना काम निकाल लेना आओपका प्रमुख गुण होगा। आपके शब्दकोश में शिथिलता या हानि के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। चन्द्रमा तत्व की प्रधानता के कारण आपमें स्त्रीत्व गुण की अधिकता रहेगी। आप किसी भी बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहेंगे। कला-सौन्दर्य में आप अधिक रुचि लेंगे। आप किसी भी कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाने में सक्षम होंगे। परिवार के प्रति आपका झुकाव विशेष रहेगा। कठिनाइयों की निवृत्ति हेतु अपने इष्ट देवी-देवता की आराधना नियमित रूप से करें। दैनिक जीवन में सफेद रंगों से सम्बन्धित वस्तुओं का इस्तेमाल अधिक करें। इन्हीं रंगों से सम्बन्धित वस्तुओं का दान भी करें। तन-मन-कर्म-वचन से शुचिता का धर्म अपनावें। सदाचार का पालन करें। गो सेवा नित्य करें।

आपके लिए अनुकूल :-

मन्त्र : ॐ सों सोमाय नमः
व्रत : सोमवार
दिन : सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार
दिनांक : 2, 11, 20, 29
अंक : 1, 4, 7
प्रत्येक वर्ष का बेहतर समय—20 जून से 27 जुलाई

मास : अप्रैल, सितम्बर एवं नवम्बर
वर्ष : 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65
रंग : सफेद एवं क्रीम
जन्मरत्न : मोती
उपरत्न : मून स्टोन

यन्त्र

7	2	9
8	6	4
3	10	5

हस्तरेखा विशेषज्ञ, रत्न-परामर्शदाता, फलित व अंक ज्योतिषी एवं वास्तुविद्
विमल जैन एस. 2/1-76 ए, द्वितीय तल, वरदान भवन, पंचक्रोशी मार्ग, भोजूबीर, वाराणसी-221002 मो० : 09335414722

कार्यालय ग्राम पंचायत, चक बन्धा न: 1 सांखला बस्ती

पंचायत समिति व तहसील कोलायत जिला बीकानेर (राज)

सरपंच - गज्जेसिंह देवड़ा | मो.-9461296705

क्रमांक...9९6...2023

दिनांक 03/01/2023

श्रीमान जन सुनवाई शिविर अधिकारी
ग्राम पंचायत चक बन्धा न. 1

विषय :— सी.एस.आर फण्ड के तहत कार्य करवाने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन कि आज 03/01/2023 को ग्राम पंचायत चक बंधा न.1 मे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा आयोजित शिविर के अन्तर्गत आज खनन विभाग द्वारा जिन खानो को पट्टा जारी किया जा रहा है। उन खानो द्वारा ग्राम पंचायत मे सी. एस. आर फण्ड द्वारा ग्राम के विकास के हेतु कार्य करवाये जाए। ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मांगो पर कार्यवाही की जाए

1. ग्राम पंचायत क्षेत्र मे वायु प्रदूषण हेतु पेड़ पौधो का रोपण एवं मैन रोड़ पर पानी का छिड़काव।
2. ग्राम पंचायत क्षेत्र में सी.एस.आर फण्ड के तहत प्रतिवर्ष 5.00 लाख रूपए कि राशि आवंटन या ग्राम पंचायत क्षेत्र मे कार्य करवाया जाए।
3. ग्राम पंचायत क्षेत्र मे स्वास्थ्य सम्बंधित प्रतिवर्ष शिविर का आयोजन

उक्त मांगो कि कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत मे लिखित आश्वासन देने के उपरांत ग्राम पंचायत जनसुनवाई पूर्ण कि जाए।

4. ग्राम डेह के अन्दर सभी माइन्स कि भारी गाडिया चलने से रोड. पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है जो खनिज विभाग से D.M.F. (सही करवाने हेतु)

सरपंच
ग्राम पंचायत चक बन्धा नं.01
पं.स. कोलायत (बीकानेर)

M/S URVIJA MINES & MINERALS

BALL CLAY & OTHER RAW MATERIAL SUPPLIERS

श्रीमान
क्षेत्रिय अधिकारी महोदय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
बीकानेर (राजस्थान)

विषय :- सरपंच महोदय द्वारा **प्रस्तावित बॉल क्ले तथा मुर्रम खनन परियोजना, रेफरेंस न. 20211000036000, (क्लस्टर संख्या 09 (Q), निकट ग्राम- डेह, तहसील – कोलायत, जिला – बीकानेर की जन सुनवाई में दिए गए पत्र के जवाब बाबत**

महोदय,

हमारी खान की जन सुनवाई दिनांक 03.01.2023 को आयोजित हुई थी जिस दौरान सरपंच महोदय द्वारा वर्तमान में चल रही खानों द्वारा CSR के अंतर्गत कार्य करवाने हेतु तथा कुछ मांगो का लिखित में पत्र प्राप्त हुआ

इस सम्बन्ध में नम्र निवेदन है कि हमारी खनन परियोजना प्रस्तावित है | हमारे द्वारा CSR में **प्रस्तावित सामाजिक उतरदायित्व का प्रस्तावित खर्चा 5 लाख रुपये प्रति वर्ष है जो कि निम्न गतिविधयों में उपयोग में लिया जायेगा :-**

प्रस्तावित सामाजिक उतरदायित्व बजट

क्रम	सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम	प्रस्तावित राशि लाख प्रतिवर्ष
1.	सरकारी स्कूल डेह में शोचालय की मरम्मत हेतु	1.50
2.	सरकारी स्कूल में पेयजल हेतु वाटरकुलर	1.50
3.	ग्रामीणों के लिए स्वास्थ जांच शिविर हेतु	2.00
कुल		**5.00**

1

608
09/01/2023

AEE (IC) 9/1/23
AEE (IG)
11/1/23